न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 346/24 निर्णय दिनांक: 20-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/454)

1. रामस्वरूप पुत्र श्री फुसाराम जाति जाट निवासी चक 18–551 डी ओ डी डी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

गणेशाराम पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी चक 18–551 डी ओ डी डी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–06–2024
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री आशु शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 28–06–2024 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में विशेष आवंटन की भूमि मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि वाके पूगल तहसील के चक 18–551 डी ओ डी डी के मुरबा नं. 81/2, 81/3, 81/10, 81/11 कुल 3.7303 हेक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट के नाम से है। अपीलांट के धारण में उक्त मुरबे 81/2 के किला नं. 16, 25 खातेदारी की है। उक्त मुरबा नंबर 81/2 में कि.नं. 2 ता 9, 13 ता 15, 18 कुल 12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध थी जिसके लिए रेस्पोडेंट के पुत्र का आवेदन जैरकार था जिसे दुरभि संधि कर रेस्पोडेंट के पुत्रों ने शपथ पत्र देकर अपने पिता के नाम आवंटन कराने की सहमति दे दी। जबकि अपीलांट ने कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे तब उसे यही कहा गया कि उक्त रकबा विशेष आवंटन का गजट का रकबा है जो स्माल पेच/मिडियम पेच आवंटन नहीं किया जा सकता। मगर तथाकथित जैर अपील आदेश से मु. नं. 81/2 में कि.नं. 2 ता 9, 13 ता 15, 18 में 12 बीघा बीघा भूमि गैरकानूनी तरीके से आवंटन नियमों के खिलाफ जाकर रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर कानूनी भूल की है। इसलिए जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 23.02.2023 को मु.नं. 81/2 में 12 बीघा भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिया जहां से दिनांक 27.02.2023 को मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार पूगल को प्रेषित कर रिपोर्ट मांगी गई जिस पर हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार ने रिपोर्ट मय नक्शा कर अधूरी रिपोर्ट भेजी जिसमें मु.नं. 81/2 के पास के सभी खातेदारों की रिपोर्ट की गई। मगर जानबूझकर अपीलांट के नाम से नोटिस नहीं दिया की गई जबकि उक्त भूमि अपीलांट के मुरबे में ही स्थित थी। रेस्पोडेंट की भूमि व अपीलांट की भूमि एक ही मुरबे में पड़ती है। सीधे ही कार्यालय टिप्पणी में जैर अपील आदेश पारित कर दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट का मिडियम पेच आवंटन का प्रार्थना पत्र पैण्डिंग था सीगेदार से रिपोर्ट ही नहीं ली गई ना ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया ना ही नोटिस जारी करने की रिपोर्ट है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट का प्रार्थना पत्र पैण्डिग था। उसमें यह अंकित कर दिया कि रकबा विशेष आवंटन है मगर रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र को कार्यालय टिप्पणी आवंटन बाबू द्वारा की गई और बिना अपीलांट के आवेदन का संलग्न किये, बिना पैण्डिग प्रार्थना पत्र की जांच किये, बिना नोटिस दिये आवंटन नियमों के विपरीत जाकर बिना आवंटन आदेश के ही चालान जारी करने के आदेश हो गये जिससे सरकार को लाखों रूपये की राजस्व हानि पहुंचाई गई है जो कि ऐसा आदेश नियम कायदों के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विपरीत क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण, नोटिस देने की प्रक्रिया आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तमाम कार्यवाही मैलाफाइड इन्टेशन से रिकार्ड से छेडछाडकर गलत डेट का अंकन कर ष्आवंटन बाबू द्वारा नोटशीट में आदेश करष् दोषपूर्ण आवंटन बिना आदेश के कार्यवाही की है। कार्यालय टिप्पणी में ही कार्यवाही चली है और प्रथम नोटशीट में की गई और जैर अपील आदेश पारित किया गया। पत्रावली पेश होने पर बिना आवंटन आदेश के और दिनांक 28.06.2024 को आवंटन पट्टा जारी करने का आदेश हुआ जो कि आवंटन अधिकारी की घोर अनियमितता दर्शाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने तमाम कार्यवाही मिडियम पेच आवंटन नियम के विपरीत की गई है। अपीलांट को कभी नोटिस दिया ही नहीं गया। पडौसी काश्तकारों को किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया एवं तथाकथित सार्वजनिक सूचना जारी होनी बताई है व चक 3 जे डब्ल्यू एम बाबत बताई है जो सरासर गलत व दुरभि सन्धि व दुर्भावना से तमाम कार्यवाही की गई है जो कि ऐसा आवंटन नियमों के विपरीत है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–06–2024 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2001 पेज 351, आरबीजे 2001 पेज 287, आरआरडी 1994 पेज 356 प्रस्तुत किये।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 28–06–2024 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होने आगे कथन किया कि वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का वर्णन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी एवं समस्त चिपते काश्तकारों को जरिये नोटिस सूचित भी किया गया था। अपीलाधीन अराजी बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलाधीन अराजी शुद्ध रूप से अराजीराज होने, किसी प्रकार के स्थगन से प्रभावित नहीं होने तथा किसी प्रायोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की स्थिति में ही वादगत भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट को अपील पेश करने की लॉक्स स्टेण्डाई हासिल नही है। अपीलांट को पूर्व में स्मालपेच आवंटन में भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा अपीलांट अराजी जैर का आवंटन करवाने के लिए हकदार नही होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहॉं तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–06–2024 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30–08–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण मीडियम पेच में भूमि आवंटन से संबंधित है इसके लिए मीडियम पेच भूमि आवंटन से संबंधित प्रावधान का अवलोकन करना होगा। राजस्थान उपनिवेशन नियम (इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन व विक्रय) नियम 1975 के नियम 14–ए के अनुसार–

Allotment of Medium patch :- {1} Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area at the price of special allotment for land of a similar soil class in the neighbourhood.

Provided that if more than one tenant of the adjoining land apply for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit.

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन पश्चात हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

ए– क्या अपीलांट प्रश्नगत भूमि का चिपता काश्तकार है अथवा नही?

बी– क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी अथवा नही?

सी– क्या अपीलाधीन आवंटन आदेश से पूर्व अपीलांट का कोई आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेडिंग था अथवा नही?

डी– क्या विशेष आवंटन के रकबे का स्माल पेच/मीडियम पेच में आवंटन किया जा सकता है अथवा नही?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट का रकबा चक 18–551 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 81/2 के किला नम्बर 16 सहित मुरब्बा नम्बर 81/3, 81/9, 81/10 व 81/11 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट की भूमि इसी चक के मुरब्बा नम्बर 81/2 के किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21 ता 25 में स्थित थी। मीडियम पेच में आवंटन योग्य अराजीराज रकबा मुरब्बा नम्बर 81/2 के किला नम्बर 2 ता 8, 9, 13 से 15 व 18 था। इससे यह प्रकट होता है कि इस चक के मुरब्बा नम्बर 81/2 में 12 बीघा अराजीराज रकबा उपलब्ध था। रेस्पोडेन्ट के 10 किलो की भूमि इस रकबे के चिपती भूमि थी जबकि अपीलांट के केवल किला नम्बर 16 की भूमि इस अराजीराज भूमि की चिपती भूमि थी। अपीलांट का चाहे 1 किला भूमि ही अराजीराज भूमि के चिपती भूमि थी परन्तु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो को इस भूमि का चिपता काश्तकार/टेन्योर टिनेन्ट माना जाएगा।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमाक 2867 दिनांक 20–03–2023 द्वारा अपीलाधीन रकबे के आवंटन हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। तहसीलदार द्वारा इस सार्वजनिक सूचना की चस्पांदगी करवा दिनांक 23–06–2023 द्वारा पालना रिपोर्ट भिजवा दी गई थी।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा आवेदन पत्र की फोटो प्रति) प्रस्तुत नही किया जिससे कि यह साबित होता हो कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन रकबे के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन किया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका में स्पष्टतः अंकित है कि *तहसीलदार, पूगल की रिपोर्ट के अनुसार यह रकबा आवंटन के लिए निर्विवाद उपलब्ध है। यह रकबा अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नही है। सार्वजनिक सूचना बाद तामील प्राप्त हो चुकी है। जिस पर किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी की इस भूमि में प्राथमिकता बनती है।* अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत रकबे के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। एक सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट इस रकबे को आवंटित करवाने हेतु एक मात्र आवेदक था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट की एक आपत्ति यह भी है कि अपीलाधीन रकबा विशेष आवंटन का रकबा था जिसे मीडियम पेच में आवंटित नही किया जा सकता। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि उपनिवेशन विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 10–12–2019 के तहत यह रकबा मीडियम पेच के तहत आवंटित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अलावा अन्य किसी भी चिपते काश्तकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवंटित करवाने हेतु आवेदन किया जाना साबित नही होता है। इस सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन एकमात्र आवेदन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन प्रकिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन भूमि का मीडियम पेच में आवंटन किया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि न होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का निर्णय दिनांक 28–06–2024 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर